पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–23] रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 मार्च, 2022 ई0 (चैत्र 05, 1944 शक सम्वत्) [संख्या–13

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	421–427	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	485–488	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	43–54	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

02 मार्च, 2022 ई0

संख्या 203 / XXXI(1) / 2022 / पदो0–01 / 2020–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री अर्जुन सिंह नपलच्याल को नियमित चयनोपरान्त अनु सचिव, वेतनमान लेवल–11 के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री अर्जुन सिंह नपलच्याल, अनुसचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3– उक्त पदोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस0बी0) / 2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4– अनुसचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

02 मार्च, 2022 ई0

संख्या 204 / XXXI(1) / 2022 / पदो0–01 / 2021–चयन वर्ष 2021–22 के अन्तर्गत सुश्री नीता बिष्ट, समीक्षा अधिकारी को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतन लेवल–10 के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सुश्री नीता बिष्ट, अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3– उक्त प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस0बी0) / 2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4– सुश्री नीता बिष्ट, अनुभाग अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव।

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग

अधिसूचना

07 जनवरी, 2022 ई0

संख्या 100/XL-1/2022-18/2004–आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश संख्या– F.No.T.13011/04/2019–DCC(AYUSH) दिनांक 12.02.2019 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय, औषधि एवं प्रसाधन नियमावली, 1945 के नियम 154(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ड्रग एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945 की धारा 33P के प्राविधानान्तर्गत आयुर्वेदिक एवं औषधि के विनिर्माण अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) जारी किये जाने हेतु आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–90/XL-1-2021-18/2004 दिनांक 01.02.2021 के द्वारा विशेषज्ञों के पैनल, जिसका कार्यकाल दिनांक 31.01.2022 को समाप्त हो रहा है।

अतः उक्तवत् प्राविधानानुसार निम्न विशेषज्ञों का पैनल दिनांक 01.02.2022 से 01 वर्ष तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1)	राज्य औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी/लाइसेंसिंग प्राधिकारी, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।	अनुज्ञापन प्राधिकारी	अध्यक्ष
(2)	डा0 सुरेश चौबे, प्रो0 द्रव्यगुण विभाग, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय,ऋषिकुल परिसर, हरिद्वार।	द्रव्यगुण विशेषज्ञ	सदस्य
(3)	डा0 राजीव कुरेले, एसोसिएट प्रोफेसर रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, मुख्य परिसर, देहरादून।	रस शास्त्र विशेषज्ञ	सदस्य
(4)	डा0 डी0डी0 बधानी, सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।	औषधि नियंत्रण तंत्र	सदस्य सचिव

आज्ञा से,

चन्द्रेश कुमार,
सचिव।

श्रम अनुभाग

अधिसूचना

31 जनवरी, 2022 ई0

संख्या 84/VIII-1/22-331/(श्रम)2002–उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा–शर्त) अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2018) की धारा–11 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य में स्थित समस्त दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को उत्तराखण्ड विधानसभा के सामान्य निर्वाचन– 2022 हेतु मतदान की तिथि दिनांक 14.02.2022 (सोमवार) के लिये उक्त अधिनियम की धारा–11 के उपबन्धों के अधीन, यदि उक्त दिवस को ऐसे दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अन्तर्गत मनाये जाने वाली सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन न हो, तो मतदान के दिवस को बंदी दिवस के रूप में मनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. कारखाने के विषय में निर्देश दिये जाते हैं कि–

(i) कारखानों के विषय में यदि मतदान की तिथि दिनांक 14.02.2022 (सोमवार) साप्ताहिक अवकाश का दिन नहीं है, तो संबंधित कारखाने में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा–135 (ख) के प्रावधानों के अधीन सवेतन अवकाश का दिन मनाया जायेगा तथा श्रमिकों को मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा।

किन्तु, अविरल प्रक्रिया (Continous Process) वाले कारखानों में कारखाना प्रबंधक अपने समस्त कर्मचारियों/कर्मकारों को मतदान का समुचित एवं पर्याप्त (Responsible and Sufficient) अवसर प्रदान करेंगे तथा उन्हें मताधिकार से वंचित नहीं करेंगे।

आज्ञा से,

चन्द्रेश कुमार,
सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1

अधिसूचना

02 फरवरी, 2022 ई0

संख्या 154/XXVIII-1/22-09(01)2022–जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 की धारा–12(4) एवं 12(6) के अन्तर्गत जिला स्तरीय मॉनीटरिंग समिति का अधिसूचना संख्या–1745/XXVIII–2/01(25)2018 दिनांक 01.11.2018 के द्वारा गठन किया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–180/2021 मुकुल कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 07.01.2022 को दिये गये आदेश के क्रम में समिति के पूर्व प्रारूप में आंशिक संशोधन करते हुए जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 की धारा–12(4) एवं 12 (6) के अन्तर्गत **"जिला स्तरीय मॉनीटरिंग समिति"** का निम्नवत् गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1.	सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी	अध्यक्ष (पदेन)
2.	सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक	सदस्य
3.	सम्बन्धित जनपद मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
4.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य
5.	क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।	सदस्य(सचिव)
6.	पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग का एक प्रतिनिधि।	सदस्य
7.	सम्बन्धित जनपद में स्थित राजकीय मेडिकल कालेज अथवा किसी प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य।	सदस्य
8.	सम्बन्धित जनपद के नगर निगम/नगर पालिका/परिषद के अधिशासी अधिकारी।	सदस्य (पदेन)
9.	सम्बन्धित जनपद की भारतीय चिकित्सा संघ शाखा का एक प्रतिनिधि।	सदस्य
10.	जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन विभाग का एक प्रतिनिधि।	सदस्य

11. सम्बन्धित जनपद में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन के क्षेत्र में कार्यरत किसी पंजीकृत स्वयंसेवी संगठन का एक प्रतिनिधि। सदस्य

2— सदस्य सचिव, क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उक्त के संबंध में समन्वय एवं अनुपालन किये जाने हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया जाता है।

3— उपरोक्तानुसार गठित समिति में पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल नाम निर्दिष्ट होने की तिथि से 02 वर्ष होगा तथा बिन्दु संख्या—10 एवं 11 के अन्तर्गत उक्त सदस्यों को नामित किये जाने हेतु समिति के सदस्य सचिव द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके समयक परीक्षणोपरान्त सम्बन्धित जिलाधिकारी(समिति के अध्यक्ष) द्वारा सदस्य नामित करते हुए अपने स्तर से अधिसूचित किया जायेगा।

4— उक्त समिति द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 07.01.2022 को दिये गये आदेश में वर्तमान में कोविड—19 प्रादृष्य को दृष्टिगत रखते हुए यथा—निर्देशित अन्तराल पर तथा अग्रेत्तर परिस्थिति सामान्य होने पर जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम—2016 की धारा—12(5) के अनुसार अपनी रिपोर्ट 06 माह में एक बार राज्य सलाहकार को प्रस्तुत करेगी।

अधिसूचना

02 फरवरी, 2022 ई0

संख्या 154/XXVIII-1/22-09(01)2022—जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम—2016 की धारा—11 (1) के अन्तर्गत राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का अधिसूचना संख्या—1744/XXVIII—2/01(25)2018 दिनांक 01.11.2018 के द्वारा गठन किया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या—180/2021 मुकुल कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 07.01.2022 को दिये गये आदेश के क्रम में समिति के पूर्व प्रारूप में आंशिक संशोधन करते हुए जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम—2016 की धारा—11(1) के अन्तर्गत **"राज्य स्तरीय सलाहकार समिति"** का निम्नवत् गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1.	सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।	अध्यक्ष
2.	सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड।	सदस्य(सचिव)
3.	सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर का हो।	सदस्य
4.	सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर का हो।	सदस्य
5.	सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर का हो।	सदस्य
6.	सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर का हो।	सदस्य
7.	महानिदेशक/निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।	सदस्य
8.	महानिदेशक/निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून। अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो संयुक्त निदेशक से अन्यून स्तर का हो।	सदस्य
9.	निदेशक, शहरी विकास, निदेशालय, उत्तराखण्ड।	सदस्य
10.	निदेशक, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड।	सदस्य
11.	भारतीय चिकित्सा संघ, उत्तराखण्ड का एक प्रतिनिधि।	सदस्य
12.	राज्य में कार्यरत किसी स्वयंसेवी संघ का एक प्रतिनिधि।	सदस्य

13. निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून के प्रतिनिधि। विशेष आमंत्रित सदस्य।

2— सदस्य सचिव राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उक्त के संबंध में समन्वय एवं अनुपालन किये जाने हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया जाता है।

3— उपरोक्तानुसार गठित समिति में बिन्दु संख्या—11 एवं 12 में नामित सदस्यों का कार्यकाल नाम निर्दिष्ट होने की तिथि से 02 वर्ष होगा तथा उक्त सदस्यों को नामित किये जाने हेतु सदस्य सचिव द्वारा शासन को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

4— उक्त समिति द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 07.01.2022 को दिये गये आदेश में वर्तमान में कोविड—19 प्रादुर्भाव को दृष्टिगत रखते हुए यथानिर्देशित अन्तराल पर तथा अग्रेत्तर परिस्थिति सामान्य होने पर जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम—2016 की धारा—11(3) के अनुसार कम से कम 06 माह में एक बार बैठक करेगी तथा राज्य में इस नियमों के लागू होने सम्बन्धी सभी मामलों की समीक्षा करेगी।

आज्ञा से,

डा0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग—4

विज्ञप्ति/नियुक्ति

04 फरवरी, 2022 ई0

संख्या 789/XXX(4)/2022-04(2)/2018—उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित सिविल जज (जूनियर डिवीजन) चयन परीक्षा, 2019 में चयनित एवं पत्रांक संख्या—184/25/E–2/CJ-JD/2018–19, दिनांक 02 दिसम्बर, 2021 द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी श्री ईशाक के सम्बन्ध में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के पत्र संख्या—565/XIII-d-1./Admin.A/2019 दिनांक 03 फरवरी, 2022 के माध्यम से प्राप्त सहमति के क्रम में चयनित अभ्यर्थी श्री ईशाक, C—47 शारदा नगर कॉलोनी, मन्दिर वाली गली, ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड को जनपद पौड़ी गढ़वाल में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा नियमावली 2005 (समय—समय पर यथासंशोधित) के अधीन उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर वेतनमान ₹ 27,700–770–33,090–920–40,450–1080–44,770/— में नियुक्त किये जाने तथा दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

अरविन्द सिंह ह्यान्की,
सचिव।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

16 फरवरी, 2022 ई0

संख्या 43/VI-4/2022-01(05)2004--तात्कालिक प्रभाव से युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग, उत्तराखण्ड में संयुक्त निदेशक, वेतन लेवल-12, रू0 78800-209200 के पद पर कार्यरत श्री राकेश चन्द्र डिमरी को नियमित चयनोपरान्त अपर निदेशक वेतन लेवल-13, रू0 123100-215900 के रिक्त पद पर पदोन्नत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री राकेश चन्द्र डिमरी को अपर निदेशक के पद पर नियमानुसार दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

आज्ञा से,

दीपेन्द्र कुमार चौधरी,
सचिव (प्रभारी)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 हिन्दी गजट/161-भाग 1-2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 मार्च, 2022 ई0 (चैत्र 05, 1944 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

February 21, 2022

No. 17/XIV-a/14/Admin.A/2009--Shri Jayendra Singh, Civil Judge (Sr. Div.), Roorkee, District Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 07 days *w.e.f.* 19.01.2022 to 25.01.2022 with permission to suffix 26.01.2022 as Republic Day holiday.

NOTIFICATION

February 21, 2022

No. 18/XIV-32/Admin.A/2019--Shri Vikram, 2nd Additional District Judge, Roorkee, District Haridwar is hereby sanctioned extra ordinary leave without pay for 14 days *w.e.f.* 10.06.2020 to 23.06.2020.

NOTIFICATION

February 21, 2022

No. 19/XIV-a/35/Admin.A/2015--Shri Amit Kumar, 2nd Additional Civil Judge(Sr. Div.)/A.C.J.M., Haridwar is hereby sanctioned medical leave for 06 days *w.e.f.* 23.01.2022 to 28.01.2022.

NOTIFICATION

February 21, 2022

No. 19/XIV-a/23/Admin.A/2010--Shri Sahdev Singh, 1st Additional District & Sessions Judge, Haridwar is hereby sanctioned medical leave for 08 days *w.e.f.* 17.01.2022 to 24.01.2022.

NOTIFICATION

February 21, 2022

No. 21/XIV-a/41/Admin.A/2013--Shri Manoj Garbyal, 3rd Additional District & Sessions Judge, Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 07 days *w.e.f.* 18.01.2022 to 24.01.2022.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

February 22, 2022

No. 22/XIV-a/38/Admin.A/2012--Ms. Shachi Sharma, Civil Judge (Sr. Div.), Vikasnagar, District, Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 28 days *w.e.f.* 01.01.2022 to 28.01.2022.

NOTIFICATION

February 22, 2022

No. 23/XIV/14/Admin.A/2008--Shri Dharmendra Kumar Singh, Civil Judge (Sr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar, is hereby sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 17.01.2022 to 31.01.2022.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

February 22, 2022

No. 24/XIV-82/Admin.A/2003--Ms. Pritu Sharma, 1st Additional District & Sessions Judge, Nainital is hereby sanctioned medical leave for 07 days *w.e.f.* 27.01.2022 to 02.02.2022.

NOTIFICATION

February 23, 2022

No. 25/XIV/a-31/Admin.A/2018--Ms. Pallavi Gupta, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar, is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 02.02.2022 to 11.02.2022.

NOTIFICATION

February 23, 2022

No. 26/XIV/a-43/Admin.A/2017--Shri Laval Kumar Verma, Judicial Magistrate II, Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 02.02.2022 to 11.02.2022.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

February 23, 2022

No. 27/XIV-a/7/Admin.A/2009--Shri Rahul Kumar Srivastava, 1st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Haridwar is hereby sanctioned medical leave for 11 days *w.e.f.* 11.01.2022 to 21.01.2022.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

February 23, 2022

No. 28/XIV/6/Admin.A/2008--Shri Kuldeep Sharma, Additional District & Sessions Judge Bageshwar is hereby sanctioned earned leave for 17.01.2022 (single day) with permission to prefix recess period *w.e.f.* 04.01.2022 to 16.01.2022 for the purpose of LTC.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

February 23, 2022

No. 29/XIV-a/27/Admin.A/2011--Shri Rajeev Dhawan, Additional Civil Judge (Sr. Div.), Roorkee, District Haridwar is hereby sanctioned paternity leave for 15 days *w.e.f.* 10.01.2022 to 24.01.2022 with permission to prefix 08.01.2022 & 09.01.2022 as second Saturday and Sunday holidays respectively.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 हिन्दी गजट/161—भाग 1—क—2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 मार्च, 2022 ई0 (चैत्र 05, 1944 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पंचायत पीपलकोटी (चमोली)

सार्वजनिक सूचना

27 दिसम्बर, 2021 ई0

संख्या– 356/सी0एम0सी0–उपविधि/2021–22–नगर पंचायत पीपलकोटी, चमोली सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–298 उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त की उपधारा–2 खण्ड–(ख) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत पीपलकोटी द्वारा "फीकल स्लज एंव सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम–2021" बनायी जाती हैं, जो नगर पालिका अधिनियम–2016 की धारा–30 (1) के अन्तर्गत जनसामान्य एंव जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पडने वाला हो, उनसे आपत्ति एंव सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एंव आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत पीपलकोटी चमोली को प्रेषित की जा सकेगी। वाद मियाद प्राप्त आपत्तियों एंव सुझावों पर कोई विचार नही किया जायेगा।

अध्याय–1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागे होने की तारीखः

(1) ये उपनियम नगर पंचायत पीपलकोटी चमोली, "फीकल स्लज एंव सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम–2021" कहलायेगा।

(2) ये उपनियम नगर पंचायत पीपलकोटी, चमोली के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. ये उपनियम नगर पंचायत पीपलकोटी की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

1. प्रसंगः–

देश का विगत अनुभव दिखाता है, कि सेप्टिक टैंक और अवधीय जो डिजाइन से सम्बन्धित है और परिवार और ग्रामीण संस्थाओं द्वारा वर्षो से अनुपालन किया जा रहा है, वह इस समय सोचनीय प्रबंधन में है। यह महत्वपूर्ण है कि एक उचित वैज्ञानिक प्रबंध इन मामलों में/सेप्टेज का अनुपालन किया जाता है, ताकि सेप्टेज/फीकल स्लज सेप्टिक टैंक, गड्ढे, शोचालय, पर्यावरण नदी एंव अन्य पानी के स्रोत को प्रदूषित न करें।

1.1 राष्ट्रीय फीकल स्लज एंव सेप्टेज प्रबंधकीय नीतिः

इस पहलू को संबोधित करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने एक फामूर्ला प्रकाशित किया है, राष्ट्रीय फीकल स्लज एंव सेप्टेज प्रबंध नीति वर्ष 2017 में इस दृश्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्ण रुप से स्वच्छ, तंदुरुस्त और जीवित बने रहे और अच्छी सफाई भी बनी रहे। जिसके साथ उन्नत स्थल स्वच्छता सेवा साथ ही फीकल स्लज और सेप्टेज और सेपटेज प्रबंधक, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सके और स्वच्छ वातावरण बना रहे, जिसमें गरीबो पर ध्यान केंन्द्रित किया जाये।

शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य प्रसन्न, प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है, ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र में हो सके, जैसे कि सुरक्षित और स्थायी सफाई व्यवस्थां एक वास्तविकता प्रत्येक परिवार के लिये गलियों में नगर और शहरों में बनी रह सके।

1.1 उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोलः

आदरणीय एन0जी0टी0 आदेश सं0 10/2015 दिनॉक 10-12-2015 ने निम्न निर्देष निर्गत किये है, जो कि उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबंध से सम्बन्धित है। उचित प्रबंध योजना या प्रोटोकोल तैयार किया जायेगा और राज्य द्वारा तथा समस्त एजेन्सी द्वारा सूचित किया जायेगा। यह आशान्वित रखने के लिए कि सीवरेज की निकासी जो कि सामान्य सेप्टिक टैंक में या बायो डाइजेस्टर में एकत्रित की जाती है, नियमित रुप से खाली की जाये और उसका उचित प्रबंध किया जाये और उसके परिणामस्वरुप खाद जो इस प्रकार से एकत्रित हुई है वह निशुल्क किसानो में वितरित की जाये और इस उद्देश्य हेतु राज्य प्रशासन एक प्रभावी भागीदारी सम्बन्धित नगर पालिका/पंचायत कहलायेगी।

उपरोक्त के अनुपालन में और जल आपूर्ति एंव सीवेरेज अधिनियम 1975/नगरपालिका अधिनियम 2016 शहरी विकास निर्देशालय जो कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के समन्वय से होगा, उन्होने एक प्रोटोकोल सेप्टेज प्रबंध के लिय तैयार किया है, जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सराकार द्वारा सूचित किया गया है, ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो सके आदेश संख्या- 597/ पत्र(2)-श0वि0-2017-50 (सा0)/16 दिनॉक-22-05-2017 राज्य का सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल राज्य और शहरों को यह दिग्दर्शन न कराता है, ताकि वैज्ञानिक सेप्टेज प्रबंध बना रहे, जो एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज, सेप्टेज/फीकल स्लज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके। स्पष्ट दिशा निर्देश इस प्रोटोकोल के है कि राज्य और शहरी अधिकारियों को इस योग्य बनाया जाये कि वे अपने सेप्टेज प्रबंध का उच्चीकरण कर सके और परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सके। इस प्रोटोकोल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और आंतरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल का आयोजन किया गया है, जिसके अर्न्तगत नगर पंचायत पीपलकोटी, जल निगम, जल संस्थान होंगे।

2- नगरीय उपकानून/फीकल स्लज एंव सेप्टेज प्रबंध का नियमितिकरणः

सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल के अनुसार जो कि शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या- 597/ पत्र(2)-श0वि0-2017-50 (सा0)/16 दिनॉक 22-05-2017 एंव समस्त लागू होने योग्य नियम कानून या नियमावली नगर पंचायत पीपलकोटी नियमित ढॉचा रिक्त करने, एकत्र करने परिवहन और सेप्टेज/फीकल स्लज के परिवहन एंव निस्तारण हेतु जैसा कि संदर्भित है। फीकल स्लज एंव सेप्टेज प्रबंध उपनियम के अर्न्तगत, जो कि यहॉं स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पंचायत पीपलकोटी के क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत सूचित किया जाता है।

3 - उद्देश्य एंव कार्यक्षेत्रः

नियमावली के उद्वेष्य एंव कार्यक्षेत्र निम्नवत् हैः

1- निर्माण, सेप्टिक टैंक के दैनिक रखरखाव और शोचालय के गढडे, परिवहन इलाज और सुरक्षित रखरखाव जो कि सलज और सेप्टेज से सम्बन्धित है।

2- क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है, उसको निर्देशित करना जो कि सेप्टिक टैंक और शोचालय के गड्ढे से और फीकल स्लज एंव सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है, ताकि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके।

3- उचित निरीक्षण प्रदान करना और मशीनरी का अनुपालन।

4 -लागत वसूली सुनिश्चित करना जो सलज के और सेप्टेज प्रबंध के उचित प्रबंध हेतु है।

5 -निजी और गैर सरकारी क्षेत्र फीकल सल्ज एंव सेप्टेज प्रबंध में सहभागी की सुविधा देना।

4 - एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज और सेप्टेज के खुर्द-खुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनानाः

4.1 - सेप्टिक टैंक और सेप्टेज/ फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करनाः

- सेप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है, उसको काटना और एक बार उसको ठीक करना, जो कि गहराई में पहुँच गया है, या बार बार के आखिर में जो डिजाइन, जो कोई भी पहले आवे।
- जबकि सल्ज को सुखाना और सेप्टिक टैंक को जो द्रव्य, उसको भी सुखाना। मैकेनिकल वेक्यून टैंकर का भी उपयोग नगरीय अधिकारियों द्वारा सेप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए।

- सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सेप्टिक प्रबंध प्रोटोकोल मे वर्णित है, को सेप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

4.2 सेप्टेज/फीकल स्लज का परिवहनः

1- फीकल सल्ज एंव सेप्टेज ट्रांर्सपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे। जैसा कि समय-समय पर एस०एम०सी० द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

2- फीकल सल्ज एंव सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वासन देंगे कि:

अ. पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अन्तर्गत समस्त उपकरण जो कि परिवहन हेतु इस्तेमाल किये जायेंगे फीकल सल्ज एंव सेप्टेज हेतु। जो कि छिद्र निरोधी होगा और फीकल सल्ज एंव सेप्टेज के सुरक्षा हेतुं ताला बंद रहेगा और लागू किये जाने योग्य मानदंड का अनुपालन करेंगे।

ब. कोई भी टैंक और उपकरण जो फीकल सल्ज एंव सेप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नही किया जायेगा।

4.3 सेप्टेज का निष्पादन और इलाज :

राज्य सेप्टेज मैनेजमेट प्रोटोकोल के अनुसार प्रत्येक नगर को अपनी एक इकाई होगी। अगर पहले से 25 किमी0 के अंर्तगत स्थित है तो सेप्टेज को नजदीकी एस0टी0पी0 में परिवहन किया जायेगा, अन्यथा एक अलग सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लान का निर्माण किया जायेगा।

5 - सुरक्षा उपाय :-

1. उचित तकनीकी शयंत्र, सुरक्षा, उपकरण का प्रयोग करते हुये मल निस्तारण किया जाना चाहिए जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य सेप्टेज प्रबंधक प्रोटोकोल 2017 में वर्णित हैं।

2. फीकल सल्ज एंव सेप्टेज ट्रासंपोर्टर यह आशान्वित करें कि :

अ. समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सेपटी गेयर और यंत्र जिसके अर्न्तगत कंधे की लंबाई तक पूरा काटेड लियोप्रीन लोपस, रबड बूट, चेहरे का मास्क और ऑखो की सुरक्षा जैसा कि रोजगार का नियनत्रण जो कि मेनवल स्कोवेंजर और उनके पुनर्वास नियम 2013 में उल्लिखित है।

ब. समस्त सुरक्षा उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जाये।

स. समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओ को सुरक्षा गियर और स्वास्थ्यवर्धक उपकरण की शिक्षा दी जानी चाहिए।

द. प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैंप, आग बुझाने वाले यन्त्र, मल निस्तारण गाडी में रखे जाते हैं, जिससे पहले कि यह एकत्रीकरण क्षेत्र में जाता है।

य धुम्रपान जबकि सेप्टिक टैंक और पिट लैट्रिन में काम चल रहा हो, धुम्रपान वर्जित है।

र. मल निस्तारण कार्यकर्ता सेप्टिक टैंक में और शौचालय गड्ढे में प्रवेश नही करेंगे और आच्छादित टैंक को हवा के लिऐ आना-जाना रखेंगेए जो कि इस कार्य को शुरु करने से पहले किया जाना आवश्यक है।

ल. बच्चों को टैंक के ढक्कन से दूर रखा जाये, ताकि वे टैंक के स्क्रू और ताले से सुरक्षित रहे। कर्मचारी सवाधान रहेंगे कि जब मल निस्तारण प्रक्रिया चल रही हो, जो कि ढक्कन कर अत्यधिक भार हेतु है या मेन हॉल का आच्छादन टूटने से बचा रहे।

6- सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहनः

6.1 नगर पंचायत पीपलकोटी चमोली दर्ज करेगा और लाईसेन्स निर्गत करेगा। निजी व्यवसायों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन उपलब्ध हो। इस प्रकार का लाईसेंस निर्गत करने से पहले यह आशान्वित करेगा कि वह ट्रक उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है। सेप्टेज ट्रांसपोर्टर और उसका पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा, जो कि गाडियों के परिवहन हेतु होगा। ये निजी व्यक्ति को भी अपने इस कार्य में उत्साहित करेंगे। पंजीकरण प्रपत्र और परमिट परिशिष्ट-ए, 2 में संलग्न है।

6.2 कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रॉसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जायेगा, जो कि एकत्रीकरण परिवहन और सेप्टेज के प्रयोजन हेतु है। जब तक इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोट्रेशन व्हीकल एस0एम0सी0 के साथ इन प्रोटोकोलों में जब तक पंजीकृत नही हैं।

सारणी 1 पंजीकरण व्यय

अ.	प्रारम्भिक पंजीकरण	: रु0 2,000.00 प्रति गाडी
ब.	नवीनीकरण	: रु0 1500.00 प्रति गाडी
स.	नाम परिवर्तन या स्वामित्व का परिवर्तन	: रु0 1000.00 प्रति गाडी
द.	अन्य संशोधन आवश्यकतानुसार	: रु0 1000.00 प्रति गाडी

(समस्त लागत दर 10 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से बढेगा)

- पंजीकरण व्यय जैसा कि सांकेतिक है निकाय के बोर्ड द्वारा जो स्वीकृत है, उसमें अंतर आ सकता है।

7– उपभोक्ता लागत और इसका संचयः

7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढें जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि निकाय में फीकल सल्ज एंव सेप्टेज उपनियम में समय-समय पर दर्शाया गया है जो कि सेप्टिक टैंक के भरने, शौचालय के गड्ढे, परिवहन और फीकल सल्ज एंव सेप्टेज के उपाय हेतु है।

7.2 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्थक पानी के निष्काशन की प्रणाली उपलब्ध है, जो कि निकाय कार्य एंव शिकायत हेतु प्रमाणित है और वे भी जो कि सीवर नेटवर्क से सम्बन्धित है, उनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है।

7.3 निकाय अपनी लागत संशोधित करेगा, जो कि समय-समय पर इससे सम्बन्धित है। ऐसी उपभोक्ता लागत जिसके अंतर्गत मल निस्तारण लागत परिवहन एंव फीकल सल्ज एंव सेप्टेज के निष्कासन हेतु।

7.4 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किये जाये जो निम्नवत् है।

अ. उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष रुप से निकाय द्वारा वसूल किया जायेगा या निकास फण्ड मे जमा किया जायेगा। सम्बन्धित भवन/सेप्टिक टैंक मालिक से।

ब. निकाय किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जिसके अर्न्तगत फीकल सल्ज एंव सेप्टेज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्रित की जायेगी। जो कि उस क्षेत्र विशेष स्वामी का है और सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से सम्बन्धित है। एक यादगार समझदारी निकाय और अधिकृत फीकल सल्ज एंव सेप्टेज परिवहनकर्ता के बीच अनुबंधित होगी। जो यह अधिकारी देगा कि वह इसकी लागत वसूल करें और उसका भुगतान निकाय को करना होगा।

स. उपभोक्ता लागत का मासिक सिचाई लागत सा सम्पत्ति कर मे जोड़ा जायेगा या एक विशेष नगरीय पर्यावरण फीस या भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अंतर्गत होगा, करना पडेगा।

सारणी 2 : उपभोक्ता लागतः-

क्र0 सं0	वर्ग	प्रति यात्रा लागत	विराम की अधिकतम अवधि जो कि सेप्टिक टैंक एंव शौचालय गड्ढे हेतु निर्धारित है	मासिक दंड 15 की दर सामान्य लागत के लिए जो कि निर्धारित मल निस्तारण के अनुपालन हेतु होगा
1	टीनशैड वाला मकान	1000	कम से कम 2-3 वर्ष में एक बार	50
2	अन्य समस्त मकान	3500	जब टैंक 2 होते है	100
3	दुकान	2500	2/3 जो भी पहले भरा जाये	125
4	समस्त सरकारी/निजी कार्यालय	2000	कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में	250
5	बैंक	3500	एक बार जब टैंक का 2/3	312
6	सामुदायिक शौचालय/मूत्रालय	3000	भाग पहले भरा हो	500
7	रेस्टोरेंट	2000		500
8	होटल/गेस्ट हाउस 1-10 कमरें	3500		250
9	होटल/अतिथि गृह 11-20 कमरें	4000		250
10	होटल/अतिथि गृह 20 कमरें से ज्यादा	5000		500
11	धर्मशाला 1-25 कमरें	3500		625
12	धर्मशाला 15 कमरें से ज्यादा	5000		200
13	3 स्टार होटल	3500		400
14	5 स्टार होटल	5000		750
15	सरकारी स्कूल /कॉलेज	2000		1000
16	निजी स्कूल/कॉलेज	2500		500
17	2 व्हीलर व्हीकल शौरुम	2000		625
18	2 व्हीलर व्हीकल शौरुम	2500		500
19	सिनेमा हॉल	3500		625
20	होटल 0-20 कमरें	3500		1250
21	होटल 21 से 50 कमरें	4000		500
22	होटल 50 कमरें से अधिक	5000		550
23	विवाह हॉल/बैंकेट हॉल	3500		1100
24	बार	3500		625
25	सरकारी हॉस्पीटल	3000		625
26	नर्सिंग हॉम/क्लीनिक	3000		500
27	पैथोलोजिकल लैब	3000		500
28	निजी अस्पताल 20 विस्तर तक	3500		500

29	निजी अस्पताल 20 से 50 बिस्तर तक	4000		1250
30	निजी अस्पताल 50 बिस्तर से अधिक	5000		1500
31	चवल की मिल/ अन्य मिलि	3500		1750
32	अन्य उद्योग शिड्कूल क्षेत्र में	4000		500
33	अन्य उद्योग शिड्कूल क्षेत्र से बाहर	3500		1500

नोट :-

1- उपरोक्त उपभोक्ता व्यय सांकेतिक है, और उनका निर्णय और स्वीकृति नगर पालिका परिशद जोषीमठ चमोली द्वारा निर्णित किये जायेगें।

2- मल निस्तारण विशेष समयावधि में होगा या जब टैंक 2/3 की आपूर्ति कर देता है (जैसा कि नगर पालिका परिशद जोषीमठ चमोली द्वारा स्वीकृत है)।

3- उपभोक्ता लागत 5 प्रतिषत वार्शिक दर से बढायी जायेगी।

8- मैकेनिजम का निरीक्षण, क्रियान्वयन और मजबूती देना:

8.1 कोई भी व्यक्ति जो कि एस0एम0सी0/ नगर पंचायत पीपलकोटी चमोली द्वारा अधिकृत है, उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सेप्टिक टैंक एंव हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या सामुदायिक/संस्थागत आदि का निरीक्षण करेगा।

8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है, जुर्माना अलग से लगाया जायेगा, और इससे प्राप्त धनराशि नगर पंचायत पीपलकोटी में जमा होगी।

8.3 नगर पंचायत पीपलकोटी के अपने क्षेत्र के सेप्टिक टैक के खाली होने का अभिलेख रखेगें।

8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय-समय पर चलाया जायेगा, जो कि प्रत्येक व्यक्ति सरकार या निजी व्यवसायी के प्रशिक्षण हेतु होगी। जो कि सेप्टिक टैंक, बायोडाइजेस्टर, मल निस्तारण सेप्टिक टैंक का एकत्रीकरण, मशीनरी, परिवहन निष्पादन और सेप्टेज का इलाज।

9- दण्ड -

दंड का ढॉचा उपकरण से रहित/अकार्यशील जी0पी0एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें, फीकल सल्ज एंव सेप्टेज का एकत्र न करना और सेप्टेज इलाल प्लांट का /आर.एन.एल. का रजिस्ट्रीकरण न करना। सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाडियों का अनुपालन न करना।

सारणी 3: दंड

क्र0 सं0	शिकायत का प्रकार	दंड या कार्यवाही प्रथम दृष्टिया पकडी गयी वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन	दंड या कार्यवाही वर्ष में दुबारा पकडी गयी मल निस्तारण वाहन दंड	दण्ड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे समय पकडी गयी विशेष रुप से मल निस्तारण वाहन
1	लोगो की सोचनीय सेवा की षिकायत	2500	5000	03 महीने के लिये परमिट सेवा की षिकायत परमिट का निरस्तीकरण
2	सेप्टेज /फीकल सल्ज जैसा कि विषेश कार्यक्षेत्र में	1000	6 माह कि लिये परमिट को स्थगित करना	
3	पंजीकरण न करना/पंजीकरण का नवीनीकरण न करना	1000	20000	आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण करने हेतु 3 महीने के लिए परमिट को स्थगित करना/परमिट का निरस्तीकरण लिए स्थगित करना
4	विशेश सुरक्षा उपायो का पालन न करना	5000	10000	
5	जी0पी0एस0 जो वाहन पर लगाया गया है उसका कार्य न करना	5000	10000	

बीना नेगी,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत पीपलकोटी।

रमेश लाल बण्डवाल,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत पीपलकोटी।

कार्यालय नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला,

विज्ञप्ति

13 सितम्बर, 2021 ई0

पत्रांक– 149/न0पा0/2021–22–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं0–10/2015 दिनांक 10.12.2015 के आदेश के अनुपालन में एवं नगर पालिका अधिनियम 1916 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य में) की धारा 276 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार तथा धारा 298 के खण्ड झ (घ) ञ (घ) में दी गयी उपनियम बनाये जाने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा–301 के अन्तर्गत दी गयी शक्ति के अनुसार उपविधि का प्रकाशन कराने हेतु नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला की बोर्ड बैठक दिनांक 21–06–2021 के प्रस्ताव सं0–01 द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुसार उपनियम "प्रोटोकॉल फार सेप्टेज मैनेजमेंट" उपनियम–2021 बनाये जाने की स्वीकृति उपरान्त यह विज्ञप्ति इस आशय से आपत्ति/सुझाव चाहने हेतु प्रकाशित की जा रही है, जिससे व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है।

अतः लोक हित में सुविधा सुरक्षा एवं नियंत्रण व विनियमन करने हेतु प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट उपनियम-2021 में यदि किसी संस्था व्यक्ति, व्यक्ति विशेष फर्म उद्योग, को कोई आपित/सुझाव हो तो वे इस विज्ञप्ति की प्रकाशन तिथि से 30 दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति कार्यालय नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला में प्रस्तुत कर सकता है, समय पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्ति अथवा सुझाव पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जा सकेगा। जो निम्नवत् हैं:-

परिभाषाः-

1. **संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख** ०:- यह उपनियम नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट उपनियम- 2021, नियमावली कहलायेगी जो कि विज्ञप्ति सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी। यह उपनियम नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला की सीमा के भीतर लागू होंगे।
2. **नगर पालिका** ०:- नगर पालिका का आशय नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला के गठन 2015 के उपरान्त 07 वार्डो की सीमा से है।
3. **अधिशासी अधिकारी** ०:- अधिशासी अधिकारी का आशय नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला के कार्यपालक अधिकारी से है।
4. **अध्यक्ष** ०:- अध्यक्ष का आशय नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला के निर्वाचित बोर्ड से हैं, बोर्ड के कार्यकलाप समाप्त हो जाने पर अध्यक्ष के स्थान पर प्रशासक/उपजिलाधिकारी, अध्यक्ष के रूप में प्रभारी अधिकारी होंगे।
5. **सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल** ०:- सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल का आशय नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला में सरकारी सेवा के शासन द्वारा नामित अधिकारियों के समूह की एक गठित इकाई से हैं, जो कि सप्टेज मैनेजमेन्ट सेल कहलायेगा। जिसके अध्यक्ष उपजिलाधिकारी रानीखेत होंगे तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला सदस्य सचिव होंगे और अधिशासी अभियन्ता पेय जल निगम, अधिशासी अभियन्ता कुमायूँ जल संस्थान तथा अधीक्षक, राज्य संयुक्त चिकित्सालय रानीखेत एवं अवर अभियंता, नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला नामित सदस्य होंगे।

---

1. प्रसंग ०:- राष्ट्र का यह अनुभव रहा है, कि सैप्टिक टैंक और अवधीय जो डिजायन से सम्बन्धित है, स्थानीय संस्थानों द्वारा वर्षो से अनुपालन किया जा रहा है, जिसके सफल संचालन हेतु कुशल प्रबन्धन

की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है, कि नगर में एक उचित वैज्ञानिक प्रबन्ध के मामलों में सेप्टेज तकनीकी का अनुपालन किया जाता है ताकि पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टिगत रखते हुए सेप्टेज/फीकल स्लज सेप्टिक टैंक गढ्ढे शौचालय पर्यावरण नदी एवं अन्य पानी आदि स्रोत को प्रदूषित न करें।

1.1- राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय नीति ः:-

इस महत्पूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार ने एक फार्मूला प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय नीति वर्ष 2017 में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ तन्दुरूस्त और जीवित बने रहें एवं अच्छी सफाई भी बनी रहें तथा प्रदूषण से मुक्ति मिल सकें जिसके साथ उन्नत स्थल स्वच्छता सेवा साथ ही फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबन्धक, ताकि सार्वजनिक उत्कृष्ट स्वास्थय स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सकें और स्वच्छ वातावरण बना रहे, जिसमें विशेषकर गरीबों पर ध्यान केन्द्रित किया जाये। शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक स्वस्थ वातावरण प्रसन्न प्राथमिकता और दिशा, निर्धारित करनी है, ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इस सेवाओं का समस्त क्षेत्रों में हो सके जैसे कि सुरक्षित और स्थाई सफाई व्यवस्था एक वास्तविक प्रत्येक आय परिवार के लिये गलियों में नगर में और शहरों में बनी रह सकें।

1.2 उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबन्धक प्रोटोकाल ः:-

माननीय एन0जी0टी आदेश सं0-10/2005 दिनांक 10-12-2015 में निम्न निर्देश निर्गत किये गये हैं। जो कि उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबन्ध के सम्बन्ध में है। "उचित प्रबन्ध योजना या प्रोटोकाल तैयार किया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा समस्त एजेन्सी द्वारा सूचित किया जायेगा" यह आशान्वित करने के लिये कि सीवरेज की निकासी जो सामान्य सैप्टिक टैंक में या बायोडाईजस्टर में एकत्रित की जाती है नियमित रूप से खाली की जाये और उसका समुचित प्रबन्ध किया जायें। उसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार जो खाद एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानों को वितरित की जायें और इस उद्देश्य हेतु राज्य प्रशासन एक भागीदारी सम्बन्धित निकाय नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला की होगी। उपरोक्त के अनुपालन में जलापूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975/नगर पालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के सम्बन्ध से होगा उन्होंने एक प्रोटोकाल सेप्टिज प्रबन्ध तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सूचित किया गया है। ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो सकें। आदेश सं0. 597/IV(2)-श0वि0-2017-50 (सा0)/16 दिनांक 22-05-2017 राज्य का सैप्टिक प्रबन्धन प्रोटोकाल राज्य और शहरों का यह दिग्दर्शन कराता है ताकि वैज्ञानिक सैप्टिक प्रबन्धन बना रहे जो कि एकत्रीकरण,परिवहन,उपचार, सैप्टिक/फीकल स्लज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके। इस प्रकार स्पष्ट दिशा निर्देश इस प्रोटोकाल के हैं। कि राज्य के शहरी अधिकारियों को इस योग्य बनाया जायें कि वह अपने निकाय में सैप्टिज प्रबन्धन का उच्चीकरण कर सकें और परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सकें इस प्रोटोकाल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये और आन्तरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेंट सैल का गठन का आयोजन किया गया जिसके अन्तर्गत नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला पेयजल निगम, जल संस्थान होंगे।

2- नगरीय उपकानून/ "फीकल स्लज एवं सेप्टेज का नियमितीकरण" ः:- सेप्टेज प्रबन्धन प्रोटोकाल के अनुसार जो शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के शा0सं-597/ IV(2)-श0वि0-2017-50 (सा0)/16 दिनांक 22-05-2017 एवं समस्त लागू होने वाले नियम या कानून या समय-2 पर शासन संशोधित नियम या नियमावली नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला नियमित ढांचों रिक्त करने एकत्र करने, परिवहन और सेप्टेज और फीकल स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि वर्णित है। फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन

उपनियम के अन्तर्गत जो कि यहां स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सूचित किया जाता है।

उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र ०ः- इस नियमावली के उद्देश्य एवं कार्य निम्नवत् हैं०ः-

1. निर्माण सैप्टिक टैंक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गढ्ढे परिवहन इलाज और सुरक्षित रखरखाव जो कि स्लेज और सेप्टेज से सम्बन्धित है।
2. क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है उसको निर्देशित करना जो कि सैप्टिक टैंक और शौचालय के गढ्ढे से और फीकल स्जल एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है ताकि वे इस निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित कर सकें।
3. उचित निरीक्षण करना और मशीनरी का अनुपालन।
4. लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि स्लज और सेप्टेज प्रबन्धन के उचित प्रबन्ध हेतु है।
5. निजि और गैर सरकारी क्षेत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्ध में सहभागी की सुविधा देना।

4- एकत्रीकरण परिवहन इलाज सैप्टिक के खुर्द-बुर्द हेतु एक प्रक्रियां अपनाना।

4-(1) सैप्टिक टैंक और सेप्टेज/फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करना ०ः-

4-(1) सैप्टिक टैंक और सेप्टेज/फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करना ०ः-

सैप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है, उसको हटाना और एक बार उसको ठीक करना जो कि गहराई में पहुँच गया है या बार-बार के आखिर में जो डिजाइन है जो कोई भी पहले आये,जबकि स्लज को सुखाना और सेप्टिक टैंक में जो द्रव्य है उसको भी सुखाना/मैकेनिकल वैक्यूम टैंकर का उपयोग नगरीय प्रबन्धन द्वारा सैप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहियें। एवं सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सैप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकाल में वर्णित है को सैप्टिक टैंक को खाली करते समय और सैप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिये।

4 (2) सैप्टेज/फीकल स्लज का परिवहन

1- फिकल स्लज और सैंप्टेज ट्रान्सपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उतरदायी होंगे जैसा कि समय-समय पर सैप्टेज मैनेजमेन्ट से (एस0एम0सी0) द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

(2) फिकल स्लज और सेप्टेज फीकल निर्माता यह आश्वासन देंगे कि ०ः-

(अ) पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अन्तर्गत समस्त उपकरण जो कि परिवहन हेतु प्रयोग किये जायेंगे फिकल स्लज और सैप्टिज हेतु जो छिद्र निरोधी होगा और फिकल स्लज और सैप्टेज हेतु तालाबन्द रहेगा। और लागू किये जाने योग्य मानदण्ड का अनुपालन करेंगे।

(ब) कोई भी टैंक और उपकरण जो कि फिकल स्लज और सैप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु प्रयुक्त नही करेगा।

4(3) सैप्टेज का निष्पादन और इलाज-राज्य सैप्टेज मैनेजमेन्ट प्रोटोकाल के अनुसार नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला की अपनी एक इकाई होगी, जिसके अन्तर्गत प्रथक से एक अलग सैप्टेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण किया जायेगा।

5- सुरक्षा उपाय ०ः-

(1) उचित तकनीकि संयत्र सुरक्षा टियर का प्रयोग करते हुए मल का निस्तारण किया जाना चाहियें।

(2) फिकंल स्लज और सैप्टिज ट्रांसपोर्टर यह सुनिष्चित करें ः-

- समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सैफटीगेयर और यन्त्र जिसके अन्तर्गत कन्धे की लम्बाई तक पूरा कोटेड लियोक्रिन,लोयर,रबर बूट, चेहरे का मास्क , आँखों की सुरक्षा हेतु ग्लास या गोगल जैसा कि मैनुवल स्केवेंजर और उनके पुर्नवास नियम 2013 में उल्लिखित है।
- समस्त सुरक्षा उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जाये।
- समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओं को सुरक्षा गियर और स्वास्थयवर्धक उपकरण के प्रयोग की शिक्षा दी जानी चाहियें।
- प्रथम सहायता किट,गैस का पता करने वाला लैम्प और अग्निशमन यन्त्र मल निस्तारण गाड़ी में रखे जाते हैं। इससे पहले कि यह एकत्रीकरण क्षेत्र में जाता है।
- सैप्टिक टैंक पिट लैट्रिन में जब काम चल रहा हो उस समय धुमपान पुर्णतः वर्जित है।
- मल निस्तारण कार्यकर्ता सैप्टिक टैंक में और शौचालय गढ्ढे में प्रवेश नही करेंगे। और आच्छादित टैंक को आना जाना रखेंगे। जो कि इस कार्य का शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक है।
- बच्चों को टैंक के ढक्कन अथवा किट से दूर रखा जायें ताकि वे टैंक के स्क्रू और ताले से सुरक्षित रहें, कर्मचारी सावधान रहेंगे जब मल निस्तारण प्रकिया चल रही हो जो कि ढक्कन पर अधिक भार हेतु है। या मेन हाल का आच्छादन टूटने से बचा रहे।
- उपभोक्ता लागत को मासिक सिंचाई लागत या सम्पत्ति कर में जोड़ा जायेगा अथवा एवं विशेष नगरीय पर्यावरण फीस भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अन्तर्गत होगा, करना होगा।

6- सैप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहन ः-

6.1 ः- नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला वाहन को दर्ज करेगा और इसका लाइसेन्स निर्गत करेगा, निजी व्यवसायियों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो तो इस प्रकार का लाईसेन्स निर्गत करने से पूर्व यह आशान्वित करेगा यह वाहन उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है, तथा मानकों के अनुरूप है, सेप्टेज ट्रान्सपोर्टर को अपने वाहन का पंजीकरण करने हेतु नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके साथ वाहन का परमिट व परमिट की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

6.2 ः-नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रान्सपोर्टर द्वारा ही प्रयोग किया जायेगा। जो व्हीकल एस0एम0सी0 के साथ इन प्रोटोकालों में पंजीकृत नही है।

सारणी- 1 पंजीकरण व्यय

अ-प्रारम्भिक पंजीकरण-	रू0 2000.00 प्रतिवाहन
ब-वार्षिक नवीनीकरण-	रू0 1500.00 प्रतिवाहन
स-नाम परिवर्तन/स्वामी का परिवर्तन-	रू0 1000.00 प्रतिवाहन
द-अन्य संशोधन आवश्यकतानुसार-	रू0 1500.00 प्रतिवाहन

7- उपभोक्ता लागत और इसका संचय-

7.1 ः-इस क्षेत्र के समस्त मालिका जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गढ्ढे जिनका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि नगरपालिका में फीकल स्लज और सैप्टेज उपनियम में समय-समय पर दर्शाया गया है, जो कि सेप्टिक टैंक के भरने शौचालय के गढ्ढे, परिवहन और फिकल स्लज एवं सैप्टेज के उपाय हेतु है।

7.2 ः-नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला अपनी लागत से संशोधित करेगा कि समय-समय इससे सम्बन्धित है। ऐसी उपयोगिता लागत परिवहन फिकल स्लज व सैप्टेज के निष्कासन हेतु है।

7.3 ः- उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्थायी एकत्र किये जाये जो निम्नवत है-

(अ)-उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष प्रत्येक रूप से नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला द्वारा वसूला जायेगा या नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला के कोष में जमा किया जायेगा। जो कि सम्बन्धित भवन/सैप्टिक टैंक मालिक से वसूल किया जायेगा।

सारणी-2 उपभोक्ता लागत ः-

क्र0सं0	भवन का वर्ग	प्रति यात्रा लागत	किराये की अधिकतम अवधि जो सेप्टिक टैंक एवं शौचालय गढ्ढे हेतु निर्धारित है	मासिक दण्ड 1.5 की दर सामान्य लागत के लिये जो कि निर्धारित निस्तारण के अनुपालन हेतु होगा
1	टीनशैड वाला मकान	1000.00	कम से कम 2-3 वर्ष में एकबार जब 2 टैंक होतें है 2/3 भाग जो भी पहले भरा जाये कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार	50.00
2	अन्य समस्त आवास	2500.00		100.00
3	दुकान	2500.00		125.00
4	सरकारी/निजी कार्यालय	2000.00		250.00
5	बैंक	3500.00		350.00
6	सामुदायिक शौचालय/मूत्रालय	3000.00		500.00
7	रेस्टोरेन्ट	2000.00		
8	होटल/गेस्ट हाउस (1 से 10 कमरें)	3500.00		
9	धर्मशाला (1 से 25 कमरें)	3500.00		
10	सरकारी स्कूल/कॉलेज	2000.00		
11	निजी स्कूल/कॉलेज	2500.00		
12	व्हीकल शोरूम	2000.00		
13	विवाह हॉल/बैंकट हॉल	3500.00		
14	बार	3500.00		
15	सरकारी हास्पिटल	3000.00		
16	नर्सिंग होम/क्लीनिक	3000.00		
17	पैथोलॉजी लैब	3000.00		
18	निजी अस्पताल 20 बैड तक	3500.00		
19	अन्य	3000.00		

नोट ः- उपरोक्त उपभोक्ता व्यय सांकेतिक है, और उनका निर्णय और स्वीकृति नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला द्वारा निर्गत किये जायेगे।

2 ०:- मल निस्तारण समयावधि में होगा या जब टैंक 2/3 की आपूर्ति कर देता है। (जैसा कि नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला द्वारा स्वीकृत है)

3 ०:- उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढाई जायेगी।

8 ०:- मैकेनिजम का निरीक्षण, क्रियान्वयन और मजबूती देना ०:-

8.1 कोई भी व्यक्ति जो एस0एम0सी0 (सैप्टिक मैनेजमेन्ट सेल)/नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला द्वारा अधिकृत है, उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सैप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय, गढ्ढे या सामुदायिक/संस्थागत आदि का निरीक्षण करेगा।

8.2-मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और जुर्माने से प्राप्त धनराशि नगर पालिका कोष में जमा होगी।

8.3-नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला क्षेत्र के टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेगें।

8.4- अवचेतना कार्यक्रम समय-समय पर चलाया जायेगा जो कि प्रत्येक व्यक्ति, सरकार या निजी व्यवसाय के प्रशिक्षण हेतु होगी, जो कि सैप्टिक टैंक बायोडाईजेस्टर मल निस्तारण सैप्टिक टैंक का एकत्रीकरण, मशीनरी, परिवहन निष्पादन और सैप्टिक का ईलाज।

9- दण्ड:-

दण्ड का ढॉचा उपकरण रहित/अकार्यशील जी0पी0एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें फिकल स्लज का एकत्र न करना और सैप्टेज ईलाज प्लांट का/आर0एन0एल0 का रजिस्ट्रेशन न करना सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाडियों का अनुपालन न करना।

सारणी-3 दण्ड

क्र0 सं0	शिकायत का प्रकार	दण्ड या कार्यवाही प्रपत्र इष्टया पकडी गयी वर्ष में एकवार मल निस्तारण	दण्ड या कार्यवाही वर्ष में दोबारा पकडी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित	दण्ड या कार्यवाही वर्ष में तीसरें बार पकडी गयी विशेष रूप से मूल निस्तारण वाहन
1	लोगो की शोचनीय सेवा की शिकायत	2500.00	5000.00	तीन महिने के लिये परमिट सेवा की शिकायत पर परमिट का निरस्तीकरण
2	सेप्टेज/फिकल स्लज जैसा कि विशेष कार्य क्षेत्र में	1000.00	6 माह के लिये परमिट को स्थगित करना	
3	पंजीकरण न करना/पंजीकरण का नवीनीकरण न करना	1000.00	2000.00	आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिये परमिट को स्थगित करना/परमिट का निरस्तीकरण के लिये स्थगित करना

<u>शास्ति/दण्ड</u>

नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला जिला-अल्मोड़ा की सीमान्तर्गत "प्रोटोकॉल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट" के अनुपालन हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं0-10/2015 दिनांक 10.12.2015 के आदेश के अनुपालन में तथा नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा 299 (1) में प्रदत्त अधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे नगरवासी जो प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट की उपविधि की किसी भी धारा का उल्लघंन करेगा अथवा करता हुआ पाया जायेगा, दोष सिद्ध पाये जाने पर रू0 5000.00 (रू0 पाँच हजार) का अर्थदण्ड किया जायेगा। उल्लघंन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की स्थिति में रू0 5000.00 (रू0 पाँच हजार) के अतिरिक्त प्रतिदिन रू0 100.00 (रू0 एक सौ) की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा। उस पर होने वाले समस्त व्ययभार हर्जे-खर्चे की वसूली भू-राजस्व की भाँति वसूल की जायेगी। विवाद होने की दशा की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र जिला-अल्मोड़ा होगा।

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, रानीखेत चिलियानौला।

ह0 (अस्पष्ट)
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद, रानीखेत चिलियानौला।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 हिन्दी गजट/161–भाग 8–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।